प्रथम आवंटन
आयोजनेत्तर–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010300

प्रेषक,

निदेशक, पंचायतीराज
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 1/40/2011–1/8/2011 : लखनऊः दिनांक 13 अप्रैल, 2011

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 की अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–101–पंचायतीराज–03–जिला पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक प्रमुख सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–1107/33–3–2011–100(41)/2010, दिनांक 08 अप्रैल, 2011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये प्राविधानित धनराशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अधिष्ठान में व्यय हेतु आवश्यक धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार रू0–**124915362/– (₹ बारह करोड़ उन्चास लाख पन्द्रह हजार तीन सौ बासठ मात्र)** आवंटित की जाती है।

यह धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– यह ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

2– **वेतन भत्ते आदि का आहरण सृजित पद के विरूद्ध ही किया जाय।**

3– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त किया जाय। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एंव अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

4– नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

5– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की अगली 05 तरीख तक निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम आवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

6– यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप सीधे जिम्मेदार होगा।

7– आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुर्क्तानुसार बी0एम0–4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

8– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

9– एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के

कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

10— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप मुख्य, लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

11— वर्तमान स्थिति में शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, विशेष रूप से यात्रा व्यय,कार्यालय व्यय ,पेट्रोल तथा टेलीफोन पर व्यय में मितव्ययता अवश्य बरती जाये। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या सी0ए0—934/दस—2008—मित—1/2007 दिनांक 2—9—2008 और समय—समय पर मितव्ययिता विषयक जारी किये गये शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय रोका जा सके।

12— व्यय के संबंध में वित्त (आय—व्ययक), अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—901/दस— 2011—231/11, दिनांक 21 मार्च,2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13— उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या—14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—आयोजनेत्तर—101—पंचायतीराज—03—जिला पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

14— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।

2— प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30—9—2011 तक

3— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15—1—2012 तक

4— वर्ष 2011—12 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 5—2—2012 तक

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ स0— 50 पर अंकित है।

संलग्नक— उक्तवत्।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/40/2011 —उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2—विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग—3,उत्तर प्रदेश शासन।
3—उपसचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2 उ0प्र0शासन।
4—महालेखाकार सी0पी0 सी0—2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
5—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
6—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7—तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

letter (03) DPRO First allotment

पत्र संख्या–1/शा0/ 40 /2011–1/8 /2011 दिनांक 12 अप्रैल 2011 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2011–12

अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक–2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम –आयोजनेत्तर–101 पंचायतीराज

03– जिला पंचायत प्रशासन संबंधी अधिष्ठान हेतु धनराशि का आवंटन

(धनराशि ₹ में)

क0सं0	जनपद का नाम	01 वेतन	03 मंहगाई भत्ता	08 अन्य भत्ता	योग	कोषागार को आवंटित धनराशि का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	1420720	639324	120050	2180094	2180094
2	बागपत	326560	146952	27594	501106	501106
3	गाजियाबाद	1633427	735042	138024	2506493	2506493
4	गौतमबुद्धनगर	632348	284556	53433	970337	970337
5	बुलन्दशहर	1182944	532324	99958	1815226	1815226
6	सहारनपुर	1573096	707893	132926	2413915	2413915
7	मुजफ्फरनगर	1392688	626709	117682	2137079	2137079
8	आगरा	1017622	457929	85989	1561540	1561540
9	अलीगढ़	1429716	643372	120811	2193899	2193899
10	हाथरस	253172	113927	21393	388492	388492
11	एटा	1220932	549419	103168	1873519	1873519
12	मैनपुरी	1698469	764311	143520	2606300	2606300
13	मथुरा	1084588	488064	91647	1664299	1664299
14	फिरोजाबाद	1628219	732698	137584	2498501	2498501
15	बरेली	1920431	864193	162276	2946900	2946900
16	बदायू	1486194	668787	125583	2280564	2280564
17	पीलीभीत	1121688	504759	94782	1721229	1721229
18	शाहजहांपुर	1285788	578604	108649	1973041	1973041
19	मुरादाबाद	1962915	883311	165866	3012092	3012092
20	ज्योतिबाफूलेनगर	595404	267931	50311	913646	913646
21	रामपुर	1162179	522980	98204	1783363	1783363
22	बिजनौर	1281028	576462	108246	1965736	1965736
23	लखनऊ	1643748	739686	138896	2522330	2522330
24	रायबरेली	1828944	823024	154545	2806513	2806513
25	हरदोई	1607109	723199	135800	2466108	2466108
26	उन्नाव	921564	414703	77872	1414139	1414139
27	सीतापुर	1412424	635590	119349	2167363	2167363
28	खीरी	2101967	945885	177616	3225468	3225468
29	फैजाबाद	1390352	625658	117484	2133494	2133494
30	अम्बेडकर नगर	656221	295299	55450	1006970	1006970
31	सुल्तानपुर	1258114	566151	106310	1930575	1930575
32	बाराबंकी	1206589	542965	101956	1851510	1851510
33	गोण्डा	1497276	673774	126519	2297569	2297569
34	बलरामपुर	793258	356966	67030	1217254	1217254
35	बहराइच	952373	428567	80475	1461415	1461415
36	श्रावस्ती	417725	187976	35297	640998	640998
37	इलाहाबाद	1694224	762400	143161	2599785	2599785
38	कौशाम्बी	398466	179309	33670	611445	611445
39	फतेहपुर	963261	433467	81395	1478123	1478123
40	प्रतापगढ़	1673134	752910	141379	2567423	2567423

पत्र संख्या–1/शा0/ 40 /2011–1/8 /2011 दिनांक 13 अप्रैल 2011 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2011–12

अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक–2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम –आयोजनेत्तर–101 पंचायतीराज

03– जिला पंचायत प्रशासन संबंधी अधिष्ठान हेतु धनराशि का आवंटन

(धनराशि ₹ में)

क0सं0	जनपद का नाम	01 वेतन	03 मंहगाई भत्ता	06 अन्य भत्ता	योग	कोषागार को आवंटित धनराशि का प्रगामी योग
41	वाराणसी	1463564	658603	123671	2245838	2245838
42	चन्दौली	445570	200506	37650	683726	683726
43	गाजीपुर	1407417	633337	118926	2159680	2159680
44	जौनपुर	1621277	729574	136997	2487848	2487848
45	मिर्जापुर	910852	409883	76966	1397701	1397701
46	सोनभद्र	714262	321417	60355	1096034	1096034
47	संतरविदासनगर	1281221	576549	108263	1966033	1966033
48	हमीरपुर	959994	431997	81119	1473110	1473110
49	बांदा	694501	312525	58685	1065711	1065711
50	चित्रकूट	590170	265576	49869	905615	905615
51	महोबा	821077	369484	69381	1259942	1259942
52	गोरखपुर	1867268	840270	157784	2865322	2865322
53	महाराज गंज	1065844	479629	90063	1635536	1635536
54	देवरिया	1259964	566983	106466	1933413	1933413
55	कुशीनगर	1204871	542191	101811	1848873	1848873
56	बस्ती	1520726	684326	128501	2333553	2333553
57	सन्त कबीर न0	694727	312627	58704	1066058	1066058
58	सिद्वार्थ नगर	851421	383139	71945	1306505	1306505
59	आजमगढ़	1260651	567292	106525	1934468	1934468
60	मऊ	882712	397220	74589	1354521	1354521
61	बलिया	1686584	758962	142516	2588062	2588062
62	कानपुर नगर	1345264	605368	113674	2064306	2064306
63	रमाबाई नगर	652441	293598	55131	1001170	1001170
64	फर्रूखाबाद	1335584	601012	112856	2049452	2049452
65	कन्नौज	358935	161520	30330	550785	550785
66	इटावा	482886	217298	40803	740987	740987
67	औरैया	528069	237631	44621	810321	810321
68	झांसी	727272	327272	61454	1115998	1115998
69	ललितपुर	1651472	743162	139549	2534183	2534183
70	जालौन	1147496	516373	96963	1760832	1760832
71	कांशीरामनगर	243680	109656	20590	373926	373926
	योग	**81404649**	**36632056**	**6878657**	**124915362**	

(₹ बारह करोड़ उन्चास लाख पन्द्रह हजार तीन सौ बासठ मात्र)

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।